बाबुओं पर नकेल, हर काम का समय तय

राइट टू सर्विस एक्ट के तहत समय सीमा में काम न करने वाले अफसर होंगे दंडित

विजय कुमार

पटना

काम अटकाने की आदत सरकारी अफसरों को पड़ेगी भारी। राइट टू सर्विस एक्ट आम आदमी को बड़ी राहत दिलायेगा। इस कानून का सबसे अधिक असर थाना प्रभारी से लेकर जिलास्तरीय अधिकारियों पर पड़ेगा जिनसे आम आदमी का सीधा सरोकार होता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक (राइट टू सर्विस बिल) का प्रारूप सार्वजनिक करते हुए इस पर लोगों से 5 जनवरी तक सुझाव मांगा है। समय सीमा के भीतर निपटारा नहीं करने पर दोषी अफसर से प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम पांच हजार रुपये जुर्माना वसूलने और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तक के प्रावधान किये गये हैं।

नया कानून लागू होने के बाद राज्य में कार्य संस्कृति ही बदल जायेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने प्रस्ताव में जाति-आवास-आय प्रमाण पत्र से लेकर राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली कनेक्शन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक की समय सीमा तय कर दी है।

कानून के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार राज्यस्तरीय आयोग भी बना सकती है। सूत्रों की मानें तो जनता दरबार के अनुभवों ने ही सरकार को राइट टू सर्विस एक्ट के बारे में विचार को प्रेरित किया। जनता दरबार में ऐसे-ऐसे मामले आते हैं जिनका निपटारा थाना, बीडीओ, एसडीओ और डीएम कार्यालय में हो जाना चाहिए लेकिन लोगों को मंत्रियों और मुख्यमंत्री के पास आना पड़ता है।

देखें पेज-2 भी

हिन्दुस्तान एक्सक्लूसिव

जनता को राहत

- सामान्य प्रशासन विभाग ने बिल का जारी किया प्रारूप, पांच जनवरी तक लोगों से मांगे सुझाव
- दोषी पाये गए अफसर से प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से वसूला जाएगा जुर्माना

कार्य	अफसर	निपटारा (दिन)
ड्राइविंग लाइसेंस	डीटीओ	30
स्मार्टकार्ड बनाना	डीटीओ	07
इंटरनेशनल लाइसेंस	डीटीओ	07
वाहन निबंधन	डीटीओ	07
टैक्स माफी	डीटीओ	30
फिटनेस प्रमाणपत्र	डीटीओ	10

प्रमाण पत्र	अफसर	निपटारा (दिन)
जाति प्रमाण पत्र	बीडीओ	15
आवास प्रमाण पत्र	बीडीओ	15
आय प्रमाण पत्र	बीडीओ	15
नया राशन कार्ड	एसडीओ	60
पोस्टमार्टम रिपोर्ट	डॉक्टर	03
वृद्धावस्था पेंशन	बीडीओ	21

राइट टू सर्विस बिल में समयसीमा

लाइसेंस

कार्य	अफसर	निपटारा (दिन)
जविप्र दुकान	एसडीओ	30
खाद दुकान	जिला कृषि पदा.	30
बीज दुकान	अनु.कृषि पदा.	30
दाल-आटा मिल	मुख्य कारखाना अधी.	30
ईंट भट्ठा	जिला खनन पदा.	30
आरा मशीन	प्रमंडलीय वन पदाधिकारी	30

बिजली

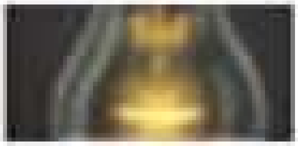

कार्य	अफसर	निपटारा (दिन)
एलटी कनेक्शन	कार्यपालक अभियंता	30
गलत बिलिंग	सहायक अभियंता	24 घंटा
फ्यूज मरम्मत (शहरी)	सहायक अभियंता	4 घंटा
फ्यूज मरम्मत (ग्रामीण)	सहायक अभियंता	24 घंटा
ब्रेक डाउन (शहरी)	सहायक अभियंता	6 घंटा
ब्रेक डाउन (ग्रामीण)	सहायक अभियंता	36 घंटा

पुलिस सत्यापन

कार्य	अफसर	निपटारा (दिन)
पासपोर्ट	थाना प्रभारी	07
आर्म्स लाइसेंस	थाना प्रभारी	07
नियुक्ति मामले	थाना प्रभारी	07
चरित्र प्रमाण पत्र	थाना प्रभारी	07